संख्या:33/2020/726 ई-2/तेरह-2020-56/2103

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 24 मार्च, 2020

विषय: प्रदेश में स्थित आसवनियों से हैण्ड सैनीटाइजर निर्माता इकाइयों को अल्कोहल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि प्रदेश एवं देश में कोरोना वायरस का संक्रमण फैल रहा है। इस निमित्त वर्तमान में हैण्ड सैनीटाइजर की अत्यधिक मांग है। सामान्य तौर पर हैण्ड सैनीटाइजर का निर्माण आइसो प्रोपाइल अल्कोहल (आई.पी.ए) से किया जाता है, लेकिन वर्तमान में हैण्ड सैनीटाइजर की मांग अधिक होने के कारण आई.पी.ए. की उपलब्धता नही हो पा रही है। इस कारण से अल्कोहल को आवश्यक वस्तु घोषित करते हुये हैण्ड सैनीटाइजर निर्माण किये जाने हेतु भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा निम्नवत अधिसूचना दिनांक 19-03-2020 निर्गत की गयी है:-

S.O. 1169(E).- In exercise of the powers conferred by sub-section 2A and section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government, hereby makes the following Order, to regulate the production, quality, distribution, prices and other aspects of alcohols used in manufacturing the Hand Sanitizers for preventing infections due to virus and bacteria, namely :-

1- (1)This order may be called the ingredients and prices of the ingredients as raw materials of Essential Commodities Order,2020.

(2)It shall come into force from the date fo its publication in the Official Gazette.

2- (1)In the Essential Commodities Act, 1955, the raw material used in manufacturing as essential commodity shall be treated as essential commodity.

(2)The prices of the alcohols used in manufacturing the hand sanitizers shall not exceed from those prevailing on 05.03.2020 without concurrence of the Central Government.

3- This Notification shall remain in force for a period up to 30th June,2020 from the date of its publication in the Official Gazette.

2. उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के पत्र संख्या:1(2)/2020-**SP-I** दिनांक 21-03-2020 द्वारा हैण्ड सैनीटाइजर निर्माताओं को इथनॉल/ई.एन.ए. उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्न निर्देश भी दिये गये हैं:-

(i) Necessary permissions on account of licensing and storage of Ethyl Alacohol/ Extra Neutral Alcohol (ENA)/ Ethanol may be accorded by the State government

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

agencies to the sanitizer industries upto their installed capacity without any quota restriction on supply of Ethyl Alcohol/ENA.

(ii) All possible arrangements should be made toensure that Ethyl Alcohol/ENA is made easily available to the sanitizer industry.

(iii) The sanitizer industry operating in the States/ UT administrations should be motivated to run their units inall three shifts, sothat they can utilize their installed capacity to produce maximim quantity of hand sanitizers. Sanitizer Industry should alsobe encouraged toenhance their production capacity; for which necessary permissions maybe accorded by the States/ UT Administrations on priority basis.

(iv) Distilleries can also produce sanitizer in bulk. that can be bottled by the Sanitizer Industry and other Industries; for whichnecessary permissions, if required maybe accorded by the States/ UT Admnistrations on priority basis.

(v) Many distilleries have bottling units; these distilleries may be motivated to produce hand sanitizers**. Attention is also invited to letter No. DCG/Misc/2020(96) dated 18-03-2020 issued by Central Drugs Standard Control Organisation.** Directorate General of Health Services, GoI to all States/UT Drug Controllers to expedite the licensing ofmanufacturers of such products which are required for the manufacture of hand sanitizers.

4. उपरोक्त क्रम में प्रदेश में स्थित आसवनियों (डिस्टिलर्स) को सैनीटाइजर निर्माण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। प्रदेश स्तर पर करोना के दृष्टिगत निर्गत लाक डाउन सम्बन्धी निर्देशों के क्रम में सैनीटाइजर की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु डिस्टिलरियों का संचालन आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कई आसवनियों द्वारा औषधियों के निर्माण हेतु आवश्यक कच्चे माले के रूप में विशेष विकृत सुरा/विकृत सुरा की आपूर्ति कीं जाती है। सामान्यतया अल्कोहल का निर्माण शीरे से किया जाता है। उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-5 के कार्यालय आदेश संख्याः679/पांच-5-2020 दिनांक 22 मार्च, 2020 के क्रम-19 द्वारा आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, खाद्य सामग्री, कृषि उत्पाद एवं उनसे सम्बन्धित निर्माण इकाइयां एवं उनके थोक एवं फुटकर विक्रेता को आवश्यक सेवाओं में सम्मिलित किया गया है।

5. भारत सरकार द्वारा संचालित इथनॉल ब्लैन्डिंग प्रोग्राम के अन्तर्गत पेट्रोल मिश्रण हेतु इथनॉल की आपूर्ति की जाती है। इथनॉल आपूर्ति प्रभावित होने से पेट्रोलियम उत्पादों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। प्रदेश में चीनी मिलों का संचालन इस अवधि में चालू रखने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि चीनी मिलों में उत्पादित शीरे की खपत इन्हीं आसवनियों द्वारा किया जाता है। आसवनियों के बन्द होने से शीरे के संचय की समस्या के कारण चीनी मिलों के संचालन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत प्रदेश में स्थित आसवनियों का संचालन बनाये रखना आवश्यक है। लाक डाउन सम्बन्धी निर्देशों के आलोक में इन आसवनियों को चालू रखने हेतु यदि आवश्यक हो तो आसवनियों में कार्यरत कर्मियों को आवश्यक पास, आसवनी में कच्चा माल प्राप्त किये जाने एवं निकासी दिये जाने हेतु वाहनों के पास आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से कार्यवाही करने का कष्ट करें।

अतः अनुरोध है कि कृपया उक्त के साथ-साथ भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत उपरोक्त आदेशों का अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः- यथोक्त।

भवदीय,

(संजय आर. भूसरेड्डी)
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या:33/2020/726 ई-2/तेरह-2020तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, गृह, लोक भवन, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, लोक भवन, लखनऊ।
3. प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, लोक भवन, लखनऊ।
4. आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन्स, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त उप आबकारी आयुक्त, प्रभार, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त सहायक आबकारी आयुक्त, आसवनियाँ, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त आसवनियाँ, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(संजय आर. भूसरेड्डी)
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।